


राजस्थान-सरकार
 कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर जिला डूंगरपुर (राज0)
 क्रमांक:- एसडीएम/ अभियान/2018/752
 विनांक:- 27/06/18
 प-6 683/2018
 :: आदेश ::


प्रार्थी को "खाता दुरुस्ती" प्रथम पत्र एवं तहसीलदार, डूंगरपुर की रिपोर्ट एवं अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम **हडमतिमा** पटवार मंडल, **पातमाण्ड** तहसील एवं जिला डूंगरपुर की जनाबंदी संवत् 2072-73 में खाता संख्या 92 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप में शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र.सं०	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	2	3	4	5
1	हडमतिमा	92	देवराज, शंकर, कान्ही सुमता सि कोमा 1/2 सिब शेष अक्षर	देवराज, शंकर, कान्ही, सुमता सि कोमा 1/2 सिब शेष अक्षर

क्रमांक-सम/752
 प्रतिलिपि-सूचना एवं फलमार्थ -

- 1- तहसीलदार, डूंगरपुर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल-दरामद शीघ्र किया जा कर जनाबंदी रिपोर्ट भिजवाये।
- 2- प्रार्थी श्री **सुमता सि कोमा**
- 3- पटवारी हत्का **पातमाण्ड**


 उपखण्ड अधिकारी
 डूंगरपुर
 दिनांक:- 27/06/18


 उपखण्ड अधिकारी
 डूंगरपुर